रजिस्टर्ड सं. डी-222

REGISTERED NO.D-222

भारत का राजपत्र

सत्यमेव जयते

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1973/पौष 1, 1895

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1973/PAUSA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

प्रधान मंत्री सचिवालय

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1973

सा. का. नि. 1379.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान मंत्री सचिवालय में फोटोस्टेट आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम प्रधान मंत्री सचिवालय (फोटोस्टेट आपरेटर) भर्ती नियम, 1973 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ;

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

111 GI/73—1

2. In the Schedule to the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1959,—

(a) against Serial Number 8 relating to the post "Dark Room Assistant"—

(i) in column 5, for the entry, the entry "75 per cent" shall be substituted;

(ii) in column 6, for the entry, the entry "25 per cent" shall be substituted;

(iii) in column 12, for the entry, the following entry shall be substituted namely :—

"From amongst Studio Boys, Peons, Mazdoors, Packers, Daftries, Film Checkers and Boom Men in the Films Division who have,

(a) put in a minimum of 7 years' regular service in their respective grades;

(b) passed Middle School Standard; and

(c) qualified in a simple Departmental test."

(b) against Serial Number 11 relating to the post of "Joiner"—

(i) in column 5, for the entry, the entry "75 per cent" shall be substituted;

(ii) in column 6, for the entry, the entry "25 per cent" shall be substituted;

(iii) in column 12, for the entry the following entry shall be substituted, namely :—

"From amongst Studio Boys, Peons, Packers, Mazdoors, Daftries, Film Checkers and Boom Men in the Films Division who have—

(a) put in a minimum of 7 years' regular service in their respective grades;

(b) passed Matriculation of a recognised University or Board or equivalent; and

(c) qualified in a simple Departmental Test";

(c) against Serial Number 15, relating to the post of "Assistant Projection Room Operator"—

(i) in column 5, for the entry, the entry "75 per cent" shall be substituted;

(ii) in column 6, for the entry, the entry "25 per cent" shall be substituted;

(iii) in column 12, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"From amongst Studio Boys, Peons, Mazdoors, Packers, Daftries, Film Checkers and Boom Men in the Films Division who have—

(a) put in a minimum of 7 years' regular service in their respective grades,

(b) passed Matriculation of a recognised University or Board or equivalent;

(c) possessed a Diploma or trade certificate or Licence in Cinema Projection from a competent authority; and

(d) qualified in a simple Departmental test in the operation of Projection equipment.";

(d) against Serial Number 28, relating to the post of "Electrician—

(i) in column 5, for the entry, the entry "75 per cent" shall be substituted;

(ii) in column 6, for the entry the entry "25 per cent" shall be substituted;

(iii) in column 12, for the entry the following entry shall be substituted, namely :—

"From amongst Studio Boys, Peons, Mazdoors, Packers, Daftries, Film Checkers, and Boom Men in the Films Division who have—

(a) put in a minimum of 7 years' regular service in their respective grades;

(b) passed Middle School standard;

(c) possessed a wire man's certificate or equivalent qualification from the competent authority;

(d) qualified in a simple Department test in electrical wiring.".

[No. 3/8/70-F(A)]
K. P. K. NAYAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1973

सा. का. नि. 1398.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 1776 तारीख 30-11-1964 में प्रकाशित आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 (इसके उपरान्त मूल नियमावली के रूप में उल्लिखित) में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1973 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **अनुसूची में संशोधन.**—मूल नियमावली की अनुसूची में 'इंजीनियरी सहायक' के पद से संबंधित क्रम संख्या 35 के सम्मुख—

(1) कालम 5 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर '80 प्रतिशत' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(2) कालम 6 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर '10 प्रतिशत' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(3) कालम 7 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर '10 प्रतिशत' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(4) कालम 13 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"आकाशवाणी के उन सीनियर मेकेनिकों, रेडियो तकनीशियनों तथा तकनीकी सुपरवाइजरों में से जिनकी अपने ग्रेड या उच्चतर ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो, निम्नलिखित अनुपात से :—

(क) वरीयता व योग्यता द्वारा 10 प्रतिशत, तथा

(ख) विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 10 प्रतिशत" ।

3. **अपवाद.**—प्रत्येक उस व्यक्ति का, जो इन नियमों के प्रकाशित होने की तारीख के बाद इन नियमों द्वारा यथा संशोधित मूल नियमावली के अनुसार पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत नियुक्त हों, रैंक उन व्यक्तियों (चाहे वे सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत नियुक्त हुए हों या पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत) से नीचा होगा जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को इंजीनियरी सहायक के पद पर हों ।

आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) (पांचवा संशोधन)

भर्ती नियमावली, 1973 का

व्याख्यात्मक ज्ञापन

11 दिसम्बर, 1971 को भारत के राजपत्र में जी. एस. आर. 1858 में प्रकाशित आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली,

1971, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ इंजीनियरी सहायक के पद से संबंधित पदोन्नति को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की व्यवस्था थी, को 25 जनवरी, 1971 से पूर्वापेक्षी प्रभाव देने का निर्णय किया गया है। पदोन्नति कोटे में वृद्धि करने के निर्णय की तारीख (25-1-1971) तथा उस तारीख (29-10-1971) जिसको संशोधित नियम अधिसूचित किये जा सकें, के बीच जो लम्बी अवधि हो गई उसके परिणामस्वरूप एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। यह समयान्तर अन्तर्निहित विभिन्न मामलों पर संबंधित विभागों के बीच हुए विचार-विमर्श के कारण हुआ। इस देरी के कारण उन विभागीय उम्मीदवारों के पदोन्नति के अवसरों पर बुरा प्रभाव पड़ा, जो 25-1-1971 से पदोन्नति कोटे के बढ़ाने के निर्णय से होने वाले तुरन्त लाभ प्राप्त करने की आशा कर रहे थे।

2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस संशोधन को पूर्वापेक्षी प्रभाव देने के कारण किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

[संख्या 19/15/70-बी (डी)]

राम किशोर गुप्त, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 1973

G.S.R. 1398.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964 (hereinafter referred to as the principal rules) published with the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 1776, dated the 30th November, 1964, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Fifth Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 25th day of January, 1971.

2. **Amendment of Schedule.**—In the Schedule to the principal rules, against serial No. 35 relating to the post of "Engineering Assistant"—

(i) in column 5, for the entry, the entry "80 per cent" shall be substituted ;

(ii) in column 6, for the entry, the entry "10 per cent" shall be substituted ;

(iii) in column 7, for the entry, the entry "10 per cent" shall be substituted ;

(iv) in column 13, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"from amonst Senior Mechanics, Radio Technicians and Technical Supervisors in All India Radio with five years service in the grade or in a higher grade in the following proportion :—

(a) 10 per cent by seniority-cum-fitness, and

(b) 10 per cent through Departmental Competitive Examination".

3. **Saving.**—Every person who may be appointed after the date of publication of these rules in accordance with the principal rules as amended by these rules against the promotion quota shall rank below those persons (whether appointed against the direct recruitment quota or the promotion quota) who are holding the post of Engineering Assistant on the date of such publication.

EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE ALL INDIA RADIO (CLASS III POSTS) (5TH AMENDMENT) RECRUITMENT RULES, 1973

G.S.R. .—It has been decided to give retrospective effect to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules 1971, published in the Gazette of India on 11-12-1971 vide GSR 1858 as from the 25th January, 1971, which inter-alia provided increase in the promotion quota from 5 per cent to 20 per cent in respect of the post of Engineering Assistant. An extraordinary situation has arisen as a result of long time lag which occurred between the date of decision (25-1-1971) to increase the promotion quota and the date on which the amended rules could be notified (29-10-1971). This time lag was due to consultations which took place between the concerned departments on the various issues involved. This delay had adversely affected the promotion prospects of the departmental candidates who were looking forward to immediate benefits flowing from the decision to enhance the promotion quota with effect from 25-1-1971.

2. It will be ensured that the interests of any person will not be prejudicially affected by giving retrospective effect to this amendment.

[No. 19/15/70-B(D)]

R. K. GUPTA, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1973

सा. का. नि. 1399.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में—

(1) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार यथा पुनः संख्यांकित क्रम सं. 3 के पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—